

प्रो. रजनीश जैन सविव

Prof. Rajnish Jain Secretary



বিধ্ববিদ্যালয় অনুবাদ আয়ীৰ University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (blinistry of Edwarfen, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़ाइर मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

> Ph :: 011-23236288/23239337 Fax : 011-2323 8858 E-mail : secy.ugc@nlc.in

D. O. No. F. 3-2/2021 (ARC)

October, 2021

SPEED FOST

Subject: Revised procedure for students to file online Anti Regging Affidavit.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, in pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009" and in compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, it is compulsory for each student and his/her parent/Guardian to submit an online undertaking each academic year at either of the two designated web sites, namely, www.antiragging.in and www.amanmovement.org.

As part of UGC's initiative towards reduction of compliance burden of its stakeholders, UGC has revised the procedure for students to file online Anti-Ragging Affidavit.

The revised procedure is as follows:

Step 1: A student will submit his/her details on the same web sites (www.antiragging.in and www.amanmovement.org) as before; read and confirm that he/she and his/her parents/Guardians have read and understood the regulations on curbing the menace of ragging. He/She will confirm & agree that he/she will not engage in ragging in any form. (Step 1 is the same like before).

Step 2: The student will receive an E MAIL with his/her registration number and a web link. The student will forward the link to the E mail of the Nodal officer in his/her university/college. [Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as used to be the case carlier).

Step 3: The Nodal Officer in the university/college can click on the link of any forwarded e mails that he/she will receive from any student of his/her college to get the list of those students who have submitted Anti Ragging Affidavits/Undertakings in his/her college. The list will be updated every 24 hours.

by veni

Contd.../-

1742/1/1/22)

Universities and Colleges are requested to insert a mandatory column in your university/colleges admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference no:

You are also requested to display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti Ragging of your university/college in your website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities etc. to create awareness about the revised procedure for students to file

In addition to this, you are also requested to create E-admission booklet or brochure, E-leaflets giving details on guidance in case of ragging to admitted

With kind regards,

Yours sincerely.

(Rajnish Jain

The Vice Chancellor of all Universities

The Principal of all Colleges

Copy to:

V. All Higher Education Regulatory Bodies (As per list attached). 2.

UGC Regional Offices.

Ms. Jasleen Kaur, Under Secretary (HE), Department of Higher Education, 3. Ministry of Education, Room No. 221, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New 4.

Dr. Diksha Rajput, Deputy Secretary, UGC, New Delhi (for uploading on

Prof. Raj Kachroo, 689, Sector-23, Gurgaon, Haryana-122 017 (for 5. uploading the same on both the website: (1) website: www.antiragging.in

> (Dr. Archana Thakur) Joint Secretary





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(शिक्षा पंत्रालय, चारत सरकार) (Painistry of Education, Gavr. of India)

षठाबुरसाङ जन्नर मार्ग, नई विल्ली-110002 Behadu Sheh Zofer Mang, New Delhi-110002

> Pb v. 011-23235288/733239337 Pox v C11-2323 8858 B-me1v sesyu.go© dede

संविव Prof. Rajnish Jain Secretary

वा०शा०मि०स० 3-2/2021 (ए.सार.सी)

अक्तूबर, 2021

(SPEED JOST) । विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैनिंग रोझी शपय-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया। प्रिय महोदया/महोदय.

जैसा कि आप जानते हैं, सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनियम, 2009" में अधिसूचित किया है जिसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन वचन पन्न जमा करवाना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया को सहज करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

संशोधित प्रक्रिया निस्नवत हैं:

चरण 1: विद्यार्थी अपना विवरण पूर्ववत् (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) वेबसाइट पर जमा करेंगे और पढ़कर इसकी पृष्टि करेंगे कि वे और उनके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग को रोकने के लिए विनियम को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है, वे इस बात की श्री पृष्टि करेंगे कि वे किसी भ्री रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: विद्यार्थी को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के लिए एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।

चरण 3: विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने महाविद्यालय में रैगिंग रोधी शपथ पत्र/वचन पत्र जमा किए हैं, अपने महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से प्राप्त किसी भी अग्रेषित ईमेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सूची हर 24 घंटे में अद्यतन की जाएगी।

जारी.../-

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में एक अनिवार्य कॉलस डालें:

रैगिंग रोधी शपथ की संदर्भ संख्या:

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय /सहाविद्यालय के रैगिंग रोधी नोडल अधिकारी का ईम्रेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास, और सार्वजानिक स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि विद्यार्थियों में ऑनलाइन रैंगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रवेश-पुस्तिका/विवरणिका आदि की प्रिन्ट/हार्ड कॉपी के बजाय उनकी सॉफ्ट कॉपी तथा साथ ही रैंगंग सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु ई-लिफ्लेट भी प्रकाशित की जाए।

सादर,

भवदीय.

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य

प्रतिनिपि:

- ্ৰ. सधी उच्चतर शिक्षा नियासक निकाय (संलग्न सूची के अनुसार)।
 - 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
 - 3. सुश्री जसलीन कौर, अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा नंबर 221, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
 - 4. डॉ॰ दीक्षा राजपूत, उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (यूजीसी वेबसाइट पर
- 5. प्रो॰ राज काचरू, 689, सेक्टर-23, गुड़गांव, हरियाणा-122 017 इसे दोनों वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिएः (1) वेबसाइटः <u>www.antiragging.in</u> (2) <u>www.amanmovement.or</u>g

(डॉo अर्चना ठाकुर) संयुक्त सचिव